क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	15/9/2022	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान की ओर से जवाब प्रा.पत्र 7 नियम 11 का पेश हुआ जो संलग्न है। बहस पत्रावली पक्षकारान वकील की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29-9.2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
	29.9.2022	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान की ओर से समय अभाव के कारण जवाब दावी लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 6.10.22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
	6.10.2022	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान की ओर से बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर गौर किया एवं प्रार्थना पत्र जवाब प्रा.पत्र का एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया तो वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि ग्राम किशनपुरा तह. चाकसू में स्थित है। जमाबंदी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी के नाम दर्ज थी जिसका वादी व प्रतिवादी ने आपसी सहमति से बंटवारानामा दिनांक 28-2-2004 व द्वारा विधिवत किया गया। बंटवारानामा पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कैम्प में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बंटवारानामा पर [illegible] बंटवारानामा [illegible] [illegible] काश्त किये जा रहे हैं। [illegible] कार्यवाही करते [illegible] आ रहे हैं। उक्त सहमति से हुए बंटवारानामा विधि के अनुसार होने से [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2023.02.15 12:33:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर

बनाम

रामचरण जगदीश

संख्या /वर्ष : 113/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	वादी द्वारा उक्त दावा प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य में राजीनामा 29.12.2020 को राजीनामा फौजदारी प्रकरण जो [illegible] उसके सम्बन्ध में हुआ था। इस राजीनामे में [illegible] बंटवारे बाबत नहीं लिखा गया था। वादी द्वारा बंटवारा होने बाबद ही बंटवारे के मौके खसरा नक्शों पर [illegible] सी.सी. लोग लिया गया है जिससे उक्त बंटवारानामे से वादी पूर्णरूप से सहमत है। एवं उक्त बंटवारानामा तहसीलदार द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति से विधिवत किया गया था जिस कारण उक्त विधिवत बंटवारानामा के विरुद्ध सुनवाई का न्यायालय [illegible] है। इस प्रकार प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा तथ्यों को छुपाकर दावा बाबत राजीनामा दिनांक 29.12.2020 की पालना करवाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत होने के कारण व उक्त दावे को न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार [illegible] किया जाना उचित [illegible] आदेश 7 नियम 11 [illegible] है। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से दावा खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2023.02.15 12:33:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner